राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.11(81)शिक्षा–6/2019(RAJKAJ-10745) दिनांकःयथाहस्ताक्षर

1. **राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,**
   राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. **निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।**

विषयः– राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये जाने वाले सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी समस्त दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन दिशा–निर्देश संलग्न अनुसार जारी किये जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा–निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उनमें पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जाये। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, उनमें पूर्व/नवीन दिशा–निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश दत्त माथुर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Rajesh Dutt Mathur
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.10.17 16:49:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18423849
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय के भामाशाह योजना 2025

Vidyalaya Ke Bhamashah Yojana 2025

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर।

(सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से दान करो)

– अर्थववेद (3/24/5)

दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति, दक्षिणावान ग्रामणीर ग्रमेति।
तमेव मन्ये जनानां यः प्रथमो दक्षिणा माविवाय।।

(दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वह समाज में ग्रामणी (अर्थात् प्रमुख) होता है, अग्र स्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा देते है वे जन–समाज के नृपति माने जाते है)

– अर्थववेद (10/107/5)

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे– विद्यालय समन्वयन व सुदृढ़ीकरण, राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रभावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेल मैदान, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी लेब/कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढांचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियां संचालित करायी जाती है। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के स्तर से कार्य करवाए जाते है।

1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किए जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किए गए कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके सम्मान हेतु अनेक दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किए गए है। भामाशाह/दानदाताओं द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास में सहयोगी बनाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प.17(11) शिक्षा–6/2010/पार्ट दिनांक

13–03–2018 को जारी विद्यालय के भामाशाह योजना में संशोधन पश्चात नवीन दिशा–निर्देश जारी किए जाते है।

2. विद्यालयों में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रक्रिया :–

2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से

2.1.1 दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते है। कार्य का क्रियान्वयन सम्बन्धित दानादाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा उनके द्वारा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।

2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से

2.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 **(परिशिष्ट–4)** द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

2.2.2 **ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पांच श्रेणियॉ हैः–**

i. पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग । (Support A Project)

ii. दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग। (Create Your Own Project)

iii. विद्यालय को गोद लेना। (Adopt A School)

iv. विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना। (Donate To A School)

v. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना। (Contribute to Mukhyamantri Vidyadaan Kosh)

2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक– प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–10–2017 से जारी दिशा

निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। **(परिशिष्ट–1)**

3. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिए गए योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु

3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किए गए योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या–5 में वर्णित देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किए जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होंगे–

i. **प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 30 लाख रूपये से अधिक योगदान पर।

ii. **उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 60 लाख रूपये से अधिक योगदान पर।

iii. **माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 150 लाख रूपये से अधिक योगदान पर।

iv. **उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 200 लाख रूपये से अधिक योगदान पर।

3.2 बिन्दु संख्या– 3.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी।

3.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अंकित किया जावेगा।

उदाहरण स्वरूप–

श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराए जाने पर विद्यालय का नामकरण श्रीमती **कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर** किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।

3.4 राजकीय विद्यालय नामकरण में किसी भी कम्पनी का नाम कभी भी शामिल नहीं किया जा सकेगा।

3.5 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के नामकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 04.03.2024 आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। **(परिशिष्ट–5)**

3.6 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

3.7 विद्यालय नामकरण हेतु बिन्दु संख्या 3.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या–5 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी सम्मिलित होगी। प्रोत्साहन

स्वरूप विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय भामाशाह पट्ट एवं दृश्य स्थल पर बोर्ड पट्टिका पर भूमि दानदाता का नाम अंकित किया जावे।

3.8 बिन्दु संख्या 3.1 एवं 3.5 के अनुसार भामाशाह के नामकरण के उपरान्त विद्यालय के क्रमोन्नत होने की स्थिति में–

3.8.1 विद्यालय नामकरण पश्चात् विद्यालय एमडीएमसी/एसएमसी के माध्यम से नामकरण वाले भामाशाह/प्रतिनिधि/पारिवारिक वारिसान को विद्यालय क्रमोन्नति से अवगत कराते हुए समग्र शिक्षा नियमानुसार विद्यालय की भौतिक संसाधनों आवश्यकताओं को क्रमोन्नति के 3 वर्ष में पूर्ति करने हेतु अवगत कराया जाएगा तथा विद्यालय नामकरण का यथावत रखा जावें।

3.8.2 बिन्दु संख्या 3.8.1 अनुसार विद्यालय नामकरण करवाने वाले भामाशाह/प्रतिनिधि/पारिवारिक वारिसान द्वारा विद्यालय क्रमोन्नत के 3 वर्ष में यदि आवश्यकताओं की पूर्ति कर विकास किया जाता है तो विद्यालय नामकरण को यथावत रखा जाएगा। यदि 3 वर्ष उपरान्त भामाशाह द्वारा भौतिक संसाधन का कार्य प्रगति पर है तो संस्था प्रधान द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु 1 वर्ष का समय देते हुए भामाशाह व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष प्रारंभिक/माध्यमिक, निदेशालय, बीकानेर को पत्र प्रेषित किया जावें।

3.8.3 बिन्दु संख्या 3.8.1 अनुसार विद्यालय नामकरण वाले भामाशाह/प्रतिनिधि/पारिवारिक वारिसान द्वारा विद्यालय क्रमोन्नत के उपरान्त आवश्यक भौतिक संसाधन की पूर्ति करने में लिखित असमर्थता प्रकट करने या या 3 वर्ष की अवधि तक कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में (जो भी पहले हो) किसी अन्य भामाशाह द्वारा बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार क्रमोन्नति विद्यालय के नवीन नामकरण हेतु अपनी इच्छा प्रकट की जाती है तो पूर्व भामाशाह के बनाए गए भवन पर ब्लॉक का नाम पूर्व भामाशाह के अनुसार रखते हुए नवीन भामाशाह द्वारा नियमानुसार बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार पूर्ति करने पर विद्यालय का नामकरण नवीन भामाशाह के वांछितानुसार किया जावे।

3.8.4 मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना एवं जनसहभागिता योजना (50:50) के अन्तर्गत केवल भामाशाह/दानदाता द्वारा व्यय की गई सहयोग राशि बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार होने पर भामाशाह/दानदाता विद्यालय नामकरण के पात्र होंगें।

3.8.5 वस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्था प्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारम्भ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एसडीएमसी से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी। भवन निर्माण के सम्बन्ध में भवन मूल्यांकन राशि का निर्धारण समग्र शिक्षा के जिला स्तरीय तकनीकी अधिकारी (सिविल शाखा) द्वारा करवाया जा सकता है।

3.9 नामकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया

3.9.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किए गए कार्यो के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति/विद्यालय विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के माध्यम से निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।

3.9.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये कार्य के मामले में प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

i. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करवाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात् तथा जहाँ कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

ii. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु **Donate to A School** श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

iii. वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारम्भ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संवीक्षा समिति को भिजवाया जाएगा।

iv. ज्ञान संकल्प पोर्टल की राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा नामकरण के प्रोजेक्ट की पात्रता रखने वाले प्रोजेक्ट अनुमोदन की स्थिति में राज्य सरकार के पत्रांक प.11(41) शिक्षा–6/2010 दिनांक 20–12–2019 के अनुसार भामाशाह को राज्य सरकार से नामकरण की पूर्व सहमति/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। **(परिशिष्ट–6)**

4. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों के गोद लेने हेतु

4.1 किसी भी भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा सीएसआर या चैरिटी के अन्तर्गत किसी भी राजकीय विद्यालय को उसकी एसडीएमसी/एसएमसी के माध्यम

तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल पर संचालित Adopt A School श्रेणी माध्यम से अन्तर्गत गोद ले सकता है।

4.2 भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा राजकीय विद्यालय गोद लेने पर विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रथम वर्ष में अनावर्ती व्यय व प्रथम वर्ष सहित आगामी 4 वर्ष (कुल 5 वर्ष) हेतु गोद दिया जावेगा।

4.3 भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय गोद लेने की समयावधि के उपरान्त आगामी समयावधि के लिए गोद लेने में प्राथमिकता रहेगी।

4.4 राजकीय विद्यालय को गोद लेने की स्थिति में प्रथम वर्ष किए जाने वाले अनावर्ती व्यय में न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं में कक्षा–कक्ष सहित फर्नीचर, कक्षा–कक्ष हेतु स्मार्ट बोर्ड, छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक मूत्रालय व शौचालय (सफाई व्यवस्था सहित) पेयजल व्यवस्था शामिल रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय सहमति से अन्य सुविधाओं का भी शामिल किया जा सकता है।

4.5 विद्यालय गोद लेने हेतु 5 वर्षों में किए जाने वाले आवर्ती मद में साफ–सफाई, खेल आवर्ती खर्च, कम्प्यूटर कार्य सेवा, विद्युत व पानी पर खर्च सहित माइनर रिपेयरिंग कार्य शामिल रहेगा। साथ ही विद्यार्थीयों के लिए पर्यावरण से संबंधित कार्य एवं शैक्षिक भ्रमण इत्यादि कार्य भी एसडीएमसी/एसएमसी की अनुमति पश्चात किये जा सकेगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय एसडीएमसी/एसएमसी सहमति से अन्य आवर्ती व्यय को भी शामिल किया जा सकता है।

4.6 गोद लेने हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्धारण नामांकित विद्यार्थियों के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के आधार पर किया जावें।

4.7 विद्यालय गोद लेने पर आदेश जारी होने की दिनांक के उपरान्त आगामी माह की प्रथम तिथि से प्रारंभ माना जाएगा।

4.8 भामाशाह/दानदाता या औद्योगिक संस्थान द्वारा एक से अधिक विद्यालय को एक साथ गोद लिया जा सकता है। किसी संस्था द्वारा 10 से अधिक राजकीय विद्यालयों को जिला व राज्य स्तर से एक साथ गोद लिया जा सकेगा।

4.9 राजकीय विद्यालय को गोद जाने के बाद किसी भी अन्य भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि गोद लेने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान से लिखित में गोद लेने हेतु निर्धारित आवर्ती/अनावर्ती व्यय की असहमति प्रकट नहीं की गई हो। उक्त के संबंध में भामाशाह/दानदाता/औद्यागिक संस्थान द्वारा एक माह में किसी भी माध्यम से सहमति प्रदान नहीं करने पर अन्य भामाशाह/दानदाता/औद्यागिक संस्थान को विद्यालय गोद दिया जा सकेगा।

4.10 यदि गोद लेने वाली संस्था द्वारा गोद लेने की समयावधि में लगातार छः माह तक कार्य नहीं किया गया तो गोद लेने की स्वीकृति को निरस्त माना जावेगा।

4.11 भामाशाह/दानदाता के नामकरण वाले विद्यालय को नामकरण के उपरान्त गोद लेने के लिए नामकरण वाले दानदाता को प्राथमिकता रहेगी। नामकरण वाले दानदाता के असहमति प्रकट करने पर अन्य किसी भी भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान को गोद दिया जा सकेगा। महान विभूतियों के नाम से संचालित विद्यालयों में उनके परिवजनों से सहमति की आवश्यकता नही है।

4.12 किसी भी भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान विद्यालय गोद लेने की स्थिति में समस्त किए जाने वाले कार्य की प्रगति ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करनी होगी।

4.13 राजकीय विद्यालय गोद लेने की स्थिति में विद्यालय में किए जाने वाले आवर्ती व अनावर्ती व्यय के अतिरिक्त विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सामग्री यथा पुस्तके, जर्सी, जूते–मौजे, बैग इत्यादि का वितरण एसडीएमसी/एसएमसी की सहमति से किया जा सकेगा।

5. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन :–

5.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भामाशाह/दानदाताओ/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराए गए विकास कार्यो के लिए प्रोत्साहन **परिशिष्ट–2** के अनुसार दिया जावेगा।

5.2 विद्यालय गोद लेने की स्थिति में प्रोत्साहन हेतु राशि का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गये आवर्ती मद के अनुसार दिया जावेगा तथा अनावर्ती मद की राशि को कार्य का पूर्ण वाले वित्तीय वर्ष में जोड़ा जावेगा।

5.3 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार राजकीय विद्यालय गोद लेने पर विद्यालय के नाम के साथ पाँच वर्ष हेतु संक्षिप्त में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय पाँच वर्ष के लिए उक्त भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।

उदाहरण के तौर पर –

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय..... जिला–.....
(यह विद्यालय एबीसी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)
सत्र 2017–18 से 2021–22 तक दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2022

यदि उपर्युक्त के अनुसार लिखा जाना संभव ना हो तो स्पष्ट दृश्य स्थान पर अलग से बोर्ड लगाया जा सकेगा जिस पर कम्पनी का नाम व अवधि आवश्यक रूप से अंकित होगी।

5.4 राशि आधारित प्रोत्साहन के उपर्युक्त वर्णित बिन्दु संख्या 5.1 से 5.3 के अतिरिक्त विद्यालय में नामकरण करने वाले भामाशाह तथा किसी भी विद्यालय में 2 करोड़ से

अधिक का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न कार्य किए जाऐंगे :–

5.4.1 विभाग पीएमश्री विद्यालयों की तर्ज पर वर्ष भर विद्यालय के स्वीकृत पदों का 80 प्रतिशत पद अनिवार्यतः भरे जाना सुनिश्चित करेगा। भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय विभाग को सुपुर्द करने के तीन से छ माह के भीतर विभाग द्वारा पद भरने हेतु इच्छुक कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर रिक्त पदो को भरने के लिए कलेंडर/प्रक्रिया का निर्धारण कर रिक्त पद भरें जाने के लिए निदेशालय माध्यमिक/प्रारम्भिक संबंधित द्वारा उक्त कार्य किया जाएगा।

5.4.2 विद्यालय में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा भौतिक संसधानों की पूर्ति करने के पश्चात विद्यालय में अतिरिक्त संकाय क्रमशः विज्ञान संकाय, कृषि संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय शुरू करने की स्वीकृति आगामी सत्र से अनिवार्यतः विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

5.4.3 भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान की अभिशंषा व आवश्कतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने पर विद्यालय में वोकेशनल सेक्टर व ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने के लिए समग्र शिक्षा राज्य कार्यालय द्वारा समीक्षा उपरांत उक्त प्रस्ताव का प्राथमिकता से चयन किया जाएगा।

5.4.4 राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष भामाशाह/दानदातों की समस्याओं पर विचार–विमर्श करने एवं प्रोत्साहित करने हेतु बैठक का आयोजन किया जावे।

5.4.5 भामाशाह/दानदाताओं/भामाशाह प्रतिनिधि को विद्यालय में होने वाले प्रत्येक समारोह में विद्यालय द्वारा आमंत्रित किया जावें।

5.4.6 भामाशाह/दानदाता/कम्पनी के प्रतिनिधियों को एसडीएमसी/ एसएमसी में शामिल करने हेतु शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2025 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। **(परिशिष्ट–7)**

5.4.7 राजकीय विद्यालयों में 2 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/कम्पनी प्रतिनिधि को राज्य स्तर पर अपने सुझाव एवं कार्य योजना के लिए शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष बैठक का आयोजन किया जावें, जिससे कि विभाग की भविष्य की कार्य योजना में सहयोग प्राप्त हो सकें।

5.4.8 सम्बन्धित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों के भामाशाह/दानदाता के साथ संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह में समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया जावेगा।

6. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

6.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किए जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

6.2 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भांति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

6.3 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिए गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

7. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

7.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किए जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

7.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिए गए योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

7.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा– प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (18) प्र. सु./अनु.3/2016 दिनांक 30–03–2016 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित **जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट–3)** कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

7.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।

8. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन :–

8.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में **''शाला प्रेरक''** की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

8.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जाएगा।

8.3 तीस लाख रुपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

8.4 पाँच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रुपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

8.5 प्रेरकों के सम्बन्ध में राज्य व जिला स्तर के समारोह के आयोजन हेतु प्रत्येक वर्ष राज्य नोडल निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए जावेंगे।

8.6 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाए जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाए जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।

8.6.1 राज्य स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय)एवं संयुक्त निदेशक संबंधित संभाग के माध्यम से निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को उचित माध्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।

8.6.2 जिला स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

परिशिष्ट–2

भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराए गए विकास कार्यो के लिए प्रोत्साहन

क्र. सं.	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्रक्रिया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	**शिक्षा मित्र** 5000 रुपये से 25 हजार रुपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पट्टिका (भामाशाह बोर्ड) संस्था प्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	
2	**शिक्षा साथी** 25 हजार रुपये या अधिक व 1 लाख रुपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क्र.सं.–1 की श्रेणी के अनुसार	
		• सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/ भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो)	• वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम–3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अनुमोदित करवाया जाएगा • अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।	कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण ईकाई (निर्माण /वस्तु) होने की स्थिति में ही देय

1	2	3	4	5
3	**शिक्षा श्री** 1 लाख रुपये या अधिक व 30 लाख रुपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क्र.सं.–1 व 2 की श्रेणी के अनुसार	
		• शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन	• ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी **जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह** (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जाएगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓ जिला संवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे।	

1	2	3	4	5
4	**शिक्षा भूषण** 30 लाख रुपये या अधिक व 1 करोड़ रुपये से कम राशि तक (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोड़कर)**	• क्र.सं.–1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के **''हॉल ऑफ फेम''** पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना।	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रा.स्कू. शि.प. जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर **''हॉल ऑफ फेम''** में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवाएगा।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित **भामाशाह सम्मान समारोह** (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जाएगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓ सीएसआर प्रकोष्ठ, मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशंषा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।	

1	2	3	4	5
5	**शिक्षा विभूषण** 1 करोड़ रुपये या अधिक राशि हेतु (नकद राशि या लागत मूल्य कार्य/वस्तु हेतु)	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोड़कर)**	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रा.स्कू. शि.प. जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवाएगा।	

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 4(7)शिक्षा–1/2014 जयपुर, दिनांक : 11.10.17

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान
जयपुर।

आयुक्त,
सर्व शिक्षा अभियान,
जयपुर।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Corporate Social Responsibility (CSR) एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं में सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक : प. 4(7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11.07.2017 द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म **ज्ञान संकल्प पोर्टल** एवं **मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में संग्रहित राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं (प्रति संलग्न)। तद्नुसार **मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आ.एस. झालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल, सचिवालय।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5)।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
10. रक्षित पत्रावली

(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 विद्यालयों के एकीकरण एवं समन्वयन के फलस्वरूप राज्य के 63315 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाऐं संचालित हैं।

1.2 राजस्थान में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की ट्रांजीशन दर केवल 48 प्रतिशत थी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 12 तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 5,300 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमोन्नत किया गया।

1.3 उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप राज्य में स्थित कुल 13552 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 13,301 विद्यालय कक्षा 1 से 10/12 के हो गए है (जिसमें से 9,543 विद्यालय कक्षा 1 से 12 एवं 3,758 कक्षा 1 से 10 विद्यालय)।

1.4 राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय व एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना कियान्वित की जा रही है। इस प्रकार 9,895 विद्यालयों को आदर्श व 9,631 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जावेगा। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को विकास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

1.5 समस्त राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 5000 करोड रूपये की आवश्यकता होगी। इस राशि की पूर्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, जनसहयोग एवं Corpoarte Social Responsibility (CSR) के अन्तर्गत अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के सतत प्रयास किये जा रहे है। गत वर्ष जनसहयोग व सीएसआर के अन्तर्गत 100 करोड रूपये से अधिक धनराशि विद्यालयों को प्राप्त हुई है।

1.6 Corpoarte Social Responsibility (CSR) एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं में सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र कमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म **ज्ञान संकल्प पोर्टल** एवं **मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** की स्थापना की गई है।

1.7 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य करवाये जायेंगे।

1.8 मुख्य मंत्री विद्यादान कोष के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर नोडल एजेन्सी का कार्य करेगी।

1.9 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में राशि ऑन लाईन जमा कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जमा कराई गई राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट का प्रावधान है।

2. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उद्देश्य

2.1 'एज्यूकेशन विजन 2020' के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनसहयोग सुनिश्चित किया जाना।

2.2 काउड फंडिंग के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास कर Centre of Excellence के रूप में विकसित करना।

2.3 राजकीय विद्यालयों के विकास में जनसमुदाय की वृहद् स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।

3. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से अनुमत कार्य

3.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से अनुमत कार्यों की सूची **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध है।

3.2 परिशिष्ट 'क' में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कार्य राज्य सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त कर करवाये जा सकेंगे।

4. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से कार्यों की स्वीकृति

4.1 कोष में प्राप्त राशि का उपयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु किया जा सकेगा। कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर यथा संभव समान रूप से सभी जिलों में कार्य हेतु आवंटन करने का प्रयास किया जायेगा।

4.2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एवं जिला स्तरीय निष्पादक समितियों से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त करेगी।

4.3 राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति प्राप्त परियोजनाओं की उपयोगिता का आंकलन कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

4.4 राज्य निष्पादन समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्कूलों के नामों का निर्धारण के प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगे।

4.5 आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर की छूट प्राप्त करने के लिए प्राप्त राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य है। अतः राज्य स्तरीय निष्पादक समिति मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में स्वीकृति हेतु कुल उपलब्ध राशि के कार्य स्वीकृत कर सकेगी ताकि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में उपलब्ध राशि उसी वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत उपयोग हो सकें।

4.6 राज्य निष्पादक समिति परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् प्रत्येक परियोजना की प्रकृति के आधार पर समय सीमा व धनराशि का अवमोचन (Release of Installments) निर्धारित करेगी।

4.7 राज्य निष्पादक समिति के अनुमोदन के पश्चात् राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात परियोजना तत्काल ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

4.8 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से कार्यों की स्वीकृति हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।

4.9 विद्यादान कोष में प्राप्त राशि के समय पर उपयोग एवं स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की होगी।

4.10 राज्य सरकार एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की शाषी परिषद् मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से परियोजना/कार्यों की स्वीकृति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश राज्य निष्पादक समिति/राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को जारी कर सकेगी।

5. स्वीकृत कार्यों का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण

5.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का कियान्वयन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानदण्डानुसार राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति द्वारा कराया जावेगा।

5.2 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का कियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डानुसार राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् द्वारा, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए) द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कराया जावेगा।

5.3 विशेष परिस्थितियों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का निष्पादन अन्य कार्यकारी संस्था से करवा सकेगी।

5.4 राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं के कियान्वयन की सतत समीक्षा की जावेगी।

5.5 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं के कियान्वयन की सतत समीक्षा की जावेगी।

5.6 जिला परियोजना समन्वयक रमसा एवं एसएसए द्वारा स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं की प्रगति ज्ञान संकल्प पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन की जावेगी।

5.7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राज्य निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि का उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

5.8 जिला परियोजना समन्वयक, रमसा एवं एसएसए द्वारा कोष में प्राप्त राशि से कियान्वित होने वाली समस्त परियोजनाओं के कियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

6. प्रशासनिक व्यय

6.1 कोष में प्राप्त कुल राशि का अधिकतम 3.5 प्रतिशत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा।

6.2 प्रशासनिक मद से ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के प्रचार प्रसार के लिए भी राशि व्यय की जा सकेगी। यह राशि बिन्दु संख्या 6.1 में वर्णित प्रशासनिक मद हेतु अनुमत राशि 3.5 प्रतिशत का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. धनराशि का अवमोचन

7.1 निर्माण कार्य (सिविल वर्क) से सम्बन्धित परियोजनाओं के कियान्वयन के लिए राज्य स्तर से जिलों को राशि दो किस्तों में जारी की जावेगी। परियोजना/कार्य की लागत की 60 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति के पश्चात जारी की जावेगी। द्वितीय किस्त की राशि प्रथम किस्त की राशि के 75 प्रतिशत के उपयोग के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात जारी की जावेगी।

7.2 अन्य परियोजनाओं/कार्यों हेतु कार्य की प्रकृति के अनुसार धनराशि का अवमोचन (Release of Installments) का निर्धारण कार्य/परियोजना की स्वीकृति के समय राज्य स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा किया जावेगा।

8. पूर्णता प्रमाण–पत्र

8.1 राजकीय कार्यकारी संस्था के द्वारा कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे।

9. अभिलेख/परिसम्पतियों का ब्यौरा संधारण

9.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राशि के द्वारा निर्मित अचल एवं चल परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार को होगा तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अभिलेख/परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण किया जावेगा।

9.2 पूर्ण तथा प्रगतिरत परियोजनाओं का विवरण तथा उनसे सम्बन्धित छाया चित्र ज्ञान संकल्प पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

10. अंकेक्षण

10.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा।

10.2 प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन को ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा।

11. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशी एवं उपयोग का समस्त ब्यौरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शाषी परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

परिशिष्ट–'क'

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत अनुमत कार्य

क.सं.	अनुमत कार्य
1.	ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित वे परियोजनाएं, जिनके लिए 75 प्रतिशत या अधिक राशि दानदाताओं/संस्थाओं इत्यादि से प्राप्त हो चुकी है। शेष राशि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से (प्रति ईकाई गणना के आधार पर) उपलब्ध कराई जा सकेगी। आवंटित की जाने वाली शेष राशि की गणना परियोजना की सम्पूर्ण लागत से न होकर अधिकतम एक ईकाई की राशि की पूर्ति के लिए की जावेगी।
2.	राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नलिखित कार्य • शुद्ध पीने का पानी, शौचालय तथा पानी निकासी की व्यवस्था • कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत यंत्र व फिटिंग एव फर्नीचर • कम्प्यूटर कक्ष मय बरामदा व फर्नीचर एवं कम्प्यूटर व अन्य उपकरण • प्रयोगशाला कक्ष मय बरामदा एवं फर्नीचर व प्रयोगशाला उपकरण • पुस्तकालय कक्ष एवं पुस्तकें व फर्नीचर • विद्यालय की चार दिवारी का निर्माण • खेलकूद सुविधाओं का विकास मय खेल उपकरण • कार्यालय कक्ष/संस्था प्रधान कक्ष/बालिका गतिविधि कक्ष/कला व शिल्प कक्ष • विद्यालयों में मरम्मत कार्य हेतु • विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर • स्मार्ट क्लास रूम एवं अन्य सम्बन्धित उपकरण
3.	ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित अन्य परियोजनाएं
4.	शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु अन्य कार्य

परिशिष्ट– 3

(14)

परिशिष्ट - 3

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

क्रमांक प. 8(18)एस.डी./अनु.3/2016 जयपुर दिनांक : 30.3.2016

–:: आदेश ::–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015–16 के बिन्दु संख्या 103 की पालना में प्रदेश के सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी मोनीटरिंग के लिए जिला स्कूल सलाहकार समिति का गठन किया जाना है :–

1. समिति गठन
जिला स्कूल सलाहकार समिति का मुख्य कार्य जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सलाह जारी करना तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात उसकी क्रियान्विति की समीक्षा करना है। समिति में जिले में शिक्षा के चहुंमुखी विकास के लिए विभिन्न विषयों के विज्ञ, सेवानिवृत्त शिक्षाविद, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित गैर सरकारी विद्यालय का प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी आदि को सम्मिलित करते हुए निम्न अनुसार गठन किया जाता है–

क्र.सं.	विवरण	पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित लोकसभा सदस्य– (परिशिष्ठ क अनुसार)	सदस्य
3.	जनप्रतिनिधिगण–4 (दो विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख एवं एक प्रधान (जिले वार संलग्न परिशिष्ठ ख,ग,घ अनुसार)	सदस्य
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम एवं द्वितीय)	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक (प्रथम एवं द्वितीय)	सदस्य सचिव
7.	प्रधानाचार्य डाईट	सदस्य
8.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	सदस्य
9.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद	सदस्य
10.	अभिभावक (न्यूनतम 4 सदस्य) (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
11.	सिविल सोसायटी–2 (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
12.	शिक्षक वर्ग (न्यूनतम 4 जिसमें 1 प्रधानाचार्य, 1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, 1 प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 अध्यापक हो) (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
13.	सेवानिवृत्त राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पुरस्कृत एक शिक्षक (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
14.	जिले में श्रेष्ठ परिणाम अर्जित गैर सरकारी विद्यालय का प्रधानाचार्य(जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
15.	संबंधित जिले के भामाशाह–2 (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
16.	स्कूल शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ (सेवानिवृत्त) (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	विशेष आमन्त्रित

उक्त समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। सदस्य सचिव द्वारा जिला स्कूल सलाहकार समिति से संबंधित समस्त कार्यवाही सपादित की जायेगी।

2. उद्देश्य–
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित

उपयोग हो तथा विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को पूर्ण सक्रियता एवं मनोयोग के साथ संपादित करावें। जिससे बालकों को कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त हो सके। इसके लिये विद्यालयों का सतत निरीक्षण एवं मूल्यांकन आवश्यक है। जिले में संचालित राजकीय विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के विकास, विद्यालय में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का समुचित उपयोग, अध्यापकों, अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने, विद्यालयों का सतत निरीक्षण कर गुणात्मक सुधार, छात्रों के शैक्षिक स्तर का सतत मूल्यांकन कर उसमें सुधार के लिए सलाह देने व जिला स्तरीय योजना निर्माण हेतु जिला स्कूल सलाहकार समिति की स्थापना की जा रही है।-

3. <u>जिला स्कूल सलाहकार समिति का संचालन–</u>
जिला स्कूल सलाहकार समिति की त्रैमासिक एवं वार्षिक बैठकें आयोजित होंगी। त्रैमासिक बैठक माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी माह में तथा वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष माह दिसम्बर में आयोजित की जायेगी। इससे संबंधित कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा संपादित की जायेगी।

4. <u>समिति के कार्य–</u>

- जिले में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियम, 2011 के प्रावधानों की क्रियान्विति कराने में सलाह देना।
- जिले में स्थित प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति को सलाह देना।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- जिले में शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सलाहकारी योजना बनाना।
- जिले की राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर की जांच कर उसमें सुधार हेतु विद्यालयवार कार्ययोजना तैयार करना व इसकी नियमित समीक्षा कर सुधार के प्रयास किये जाना।
- विद्यालयों के भौतिक विकास हेतु समग्र योजना तैयार कर भामाशाह/जनप्रतिनिधियों/नरेगा/सांसद कोष/विधायक कोष द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाना।
- अध्यापकों के अध्यापन कार्य के संबंध में सलाहकारी योजना बनाना।
- अध्यापकों की विद्यालयों में समय पर उपस्थिति एवं पूर्ण ठहराव सुनिश्चित करना।
- राजकीय विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संचालित करना तथा विद्यार्थियों का वर्ष भर ठहराव हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धियों, शतप्रतिशत उपस्थिति एवं प्रेरणा हेतु आवश्यक कार्य करना।
- विद्यार्थियों में शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के विकास के लिए सलाह देना तथा श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बालकों तथा कुशल, मेहनती एवं अच्छे परिणाम देने वाले अध्यापकों को जिला स्तर पर पुरस्कार देने के लिए चिन्हित कर अनुशंसा करना।
- विद्यालय के समेकित विकास हेतु समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा विद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंध मजबूत करने हेतु कार्ययोजना।
- विद्यालयों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं भौतिक संसाधनों की सुनिश्चितता हेतु विभिन्न समितियां गठित करना।
- प्रतिवर्ष जिले की शैक्षिक योजना की समीक्षा तथा वार्षिक योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सलाहकारी कार्य योजना तैयार करना।
- जिले के भीतर अध्यापकों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए सलाह देना।
- सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाई जाने वाली वार्षिक योजना के निर्माण में सलाह देना।

परिशिष्ट– 4

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 4(7)शिक्षा–1 /2014 जयपुर, दिनांक : 11/07/2017

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय **राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानो एवं दानदाताओ/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानो एवं दानदाताओ/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** स्थापित करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

1. **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–
   - (i) राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार सीएसआर राशि का संग्रहण व प्रबन्धन करना।
   - (ii) राजकीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए दानदाताओं / भामाशाहों/ संस्थाओं व क्राउड फण्डिंग (Crowd Funding) के माध्यम से आवश्यक धनराशि प्राप्त करना।
2. **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के माध्यम से विद्यालयों के विकास हेतु परियोजनाओं के कियान्वयन की निम्नानुसार व्यवस्था होगी :–
   - (i) दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं अपनी परियोजना/गतिविधि की क्रियान्वित कर सकती है।
   - (ii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं द्वारा चिन्हित सेवा प्रदाता के माध्यम से परियोजना/गतिविधि का क्रियान्वयन कर सकती है।

(iii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी परियोजना/गतिविधि हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद** के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित कर सकती है।

(iv) दानदाताओं द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्थापित **एज्यूकेशन फंड** में योगदान दिया जा सकता है, जिसका उपयोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु किया जावेगा। इस फंड में की गयी योगदान राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस फंड में विदेशी स्त्रोतो से योगदान प्राप्त करने के लिये Foreign Contribution Regulation Act के तहत पंजीकरण कराने का प्रयास किया जावेगा।

3. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के Memorandum of Association के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु प्राप्त होने वाले दान / धनराशि का प्रबंधन परिषद द्वारा किया जा सकता है। अतः **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर नोडल एजेन्सी होगी।

4. **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था होगी :–

(i) राज्य स्तर पर

(a) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शाषी परिषद** जिसके शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के राज्य परियोजना निदेशक सदस्य सचिव हैं, **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के संबंध में नीति निर्धारण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

(b) स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की राज्य स्तरीय निष्पादक समिति** शाषी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं क्रियान्वयन के दिशा–निर्देशों के अनुसार **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** के संचालन का कार्य करेगी।

(c) **राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता** में गठित राज्य स्तरीय संविक्षा समिति **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं तथा सीएसआर कम्पनीज एवं

दानदाताओं के द्वारा स्वनिर्मित परियोजनाओं की संवीक्षा (Screening) एवं अनुमोदन का कार्य करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	**उपाध्यक्ष**
2	उपायुक्त (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	**सदस्य सचिव**
3	आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित अधिकारी (उपायुक्त के समकक्ष)	सदस्य
4	नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
5	नियंत्रक वित, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
6	प्रभारी (आंभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
7	प्रभारी (आंभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
8	उप निदेशक (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
9	उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
10	उप निदेशक (शाला दर्शन प्रकोष्ठ), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य

(ii) जिला स्तर पर

(a) **जिला कलक्टर की अध्यक्षता** में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला स्तरीय निष्पादन समिति जिला स्तर पर मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(b) **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ की अध्यक्षता** में जिला स्तरीय संवीक्षा समिति (Screening Committee) **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** पर जिला स्तर पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं की पहचान कर राज्य स्तर पर गठित Screening कमेटी को अनुमोदन हेतु अनुशंषा करेगी। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	**सदस्य सचिव**
2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
4	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय	सदस्य
5	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
6	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य

(iii) विद्यालय स्तर पर

(a) विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/ विद्यालय प्रबन्ध समिति, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के विद्यालय स्तर पर निष्पादन के लिए कार्यकारी संस्था होगी एवं निम्न प्रकार से उत्तरदायी होंगी :–

- राशि प्राप्त करना तथा निर्धारित समय सीमा में उपयोग करना।
- निर्धारित मानदण्डानुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- परियोजना क्रियान्वयन प्रगति से अवगत करवाना व परियोजना समाप्ति पर अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

5. उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती है :–

(i) एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के लिए पृथक से खाते का संधारण किया जायेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऑडिट करवाई जायेगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा इस फण्ड में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ अन्य किसी योजना जैसे मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता /डोनेशन को इस एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रेंथ में से सीएसआर गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं संचालन हेतु

पृथक से सीएसआर प्रकोष्ठ का गठन शिक्षा संकुल में किया जा चुका है। इस सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा ही **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल** एवं **एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** से संबंधित कार्य सम्पादित किया जावेगा। अतः वित्त विभाग से इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संचालन से सम्बन्धित सभी वैधानिक अनुमति (Statutory Permissions) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समक्ष प्राधिकरण से प्राप्त की जायेगी।

(v) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त राशि के स्रोत की पूर्ण जानकारी का संधारण किया जायेगा।

(vi) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग हेतु जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किये जायेंगे।

(अशफाक हुसैन)
विशिष्ठ शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक : डी/100/मं.मं./2017 जयपुर, दिनांक 11.07.2017 के क्रम में।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयोजना)
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5)
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6)
9. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान।
13. रक्षित पत्रावली।

(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प. 11(41) शिक्षा–6/ 2023(RK - 09937) जयपुर, दिनांक :

निदेशक,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय : <u>महात्मा गांधी विद्यालयों का नामकरण शहीदों/भामाशाहों आदि के नाम पर किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक :12(5) शिक्षा–6/ 2023 (RK- 09894) दिनांक 02.08.2023 को निरस्त करते हुए लेख है कि महात्मा गांधी विद्यालयों का नामकरण शहीदों/भामाशाहों आदि के नाम पर किये जाने से संबंधित प्रकरणों मे महात्मा गांधी के नाम के पीछे भामाशाह/शहीद का नाम लिखा जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(गोविन्द नारायण दाधीच)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–
1. निजी सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।

शासन उप सचिव

Signature valid
RajKaj Ref
5937464
Digitally signed by Govind Narayan Dadhich
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.03.04 18:19:51 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट– 6

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.11(31)शिक्षा–6/2019 जयपुर, दिनांक 20/12/19

निर्देशक,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान,
शिक्षा संकुल, जयपुर

CSR
17.01.2020

प्रा. शिक्षा/निजी/Gov/ 90
दिनांक 20 JAN 2020

परिपत्र

विषयः–विद्यालय भामाशाह/दानदाता नामकरण हेतु पूर्व सहमति/स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण।

राजकीय विद्यालयों में दानदाता/भामाशाहों/ओद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा–निर्देश शासन द्वारा दिनांक 13.03.2018 को जारी किये गये थे इन दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 व 4 के अनुसार योगदान प्राप्त करने और योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण के मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। निर्धारित प्रक्रियानुसार यदि सम्बन्धित भामाशाह/दानदाता द्वारा ज्ञान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त विद्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित मानदण्ड पूरे करने पर संबंधित भामाशाह/दानदाता के नाम पर विद्यालय नामकरण किये जाने का प्रावधान है।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि उक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित भामाशाह/दानदाता द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नामकरण हेतु विभाग की पूर्व सहमति/स्वीकृति चाही जाती है। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 13.03.2018 की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान सम्पर्क पोर्टल पर आये प्रस्ताव को यदि राज्य परियोजना निदेशक, समसा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा यदि अनुमोदित कर दिया गया है, और प्रस्ताव शासन के परिपत्र दिनांक 13.03.2018 के अनुरूप नामकरण के लिए पात्रता रखता है तो नामकरण हेतु पृथक से पूर्व सहमति/स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।

(हरजी लाल अटल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.14(7)शिक्षा–5/2024(RAJKAJ-23562) दिनांकःयथाहस्ताक्षर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) में भामाशाह या नामित प्रतिनिधि को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्र दिनांक 24.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) में भामाशाह या नामित प्रतिनिधि को सम्मिलित करने संबंधी प्रकरण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. विद्यालय को एक करोड़ या उससे अधिक, दो करोड़ तक के सहयोग करने पर उस विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों में दानदाता/भामाशाह (स्वयं अथवा नामित) एक सदस्य को सम्मिलित किया जावें।
2. विद्यालय को दो करोड़ से अधिक सहयोग करने पर उस विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों में दानदाता/भामाशाह (स्वयं अथवा नामित) दो सदस्यों को सम्मिलित किया जावें।
3. भामाशाह/दानदाता के नाम से संचालित राजकीय विद्यालयों में प्राथमिकता से अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव स्थानान्तरण नीति में सम्मिलित किया जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(बृजरतन प्रजापत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग।

Signature valid
वरिष्ठ शासन उप सचिव
Digitally signed by Brij Ratan Prajapat
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2025.01.31 16:19:09 IST
Reason: Approved